REGD.NO.D.L.-33004/99



रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

HRA an USU The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1278] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928 No. 1278] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1817(अ).-पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श पर और इस बात के लिए तुष्ट हो जाने पर कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा एक समिति गठन करती है नामशः --

1.	अपर सचिव,	अध्यक्ष/सदस्य
. ·	पशु कल्याण प्रभारी	
	भारत सरकार,	
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,	
	नई दिल्ली	
2.	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण)	उपाध्यक्ष/सदस्य
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,	
	नई दिल्ली	
3.	डा.(श्रीमती) वसंता मुत्थुस्वामी,	सदस्य
•	वरिष्ठ उप महानिदेशक और प्रमुख,	,
	बी एम एस प्रभाग, पारम्परिक चिकित्सा शास्त्र और जीवनीतिशास्त्र,	
İ	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अंसारी नगर,	
	नई दिल्ली - 110029	· · · ·
4.	डा. पी बालकृष्ण मूर्ति,	सदस्य
	निदेशक,	
	अन्तर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी और विष-विज्ञान संस्थान(आई आई बी ए	
	टी), 12 हार्लेस रोड, किल्पौक,	
	चैमई - 600010	
2208 CI	(1)	

3398 GI/2006

		RDINARY	[PART II-SEC. 3
5.	डा. डी स्वरुप, अध्यक्ष, आयुर्विज्ञान प्रभाग, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,	सदस्य	<u>.</u>
	इज्जतनगर - 243122 (उत्तर प्रदेश)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.	डा. के नाचीमुत्थु, अनुसंधान निदेशक, तमिलनाडु पशु-चिकित्सा और प्राणी विज्ञान विश्वविद्यालय, माधवराम मिल्क कालोनी, चैन्नई - 600051	सदस्य	_
7.	प्रो. अनूप कुमार नायक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बैग # 18, चन्द्रबानी, देहरादून - 248001, उत्तरांचल	सदस्य	
8.	डा. कोडावल्ला वेंकैया, अध्यक्ष और सहायक निदेशक, जीव-सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जामिया-ओस्मानिया (पी ओ), हैदराबाद - 500007	सदस्य	
9.	डा. वी के विनायक, (सेवानिवृत्त वरिष्ठ सलाहकार) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी.1, ई-12, मोहन कोओपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044	सदस्य	· · ·
10.	प्रो.ए.जगवाद्य राव (सेवानिवृत्त) डिपार्टमैंट आफ बायो केमिस्ट्री एण्ड मोलीकूलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमैंट एण्ड जेनेटिक्स, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर - 560012	सदस्य	•
11.	प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र), दिल्ली विश्वविद्यालय, 7, वैशाली आपर्टमेंट्स, आई आई टी/दिल्ली, हौज़-ख़ास, नई दिल्ली - 1.10016	सदस्य	
12.	सीनियर कन्सल्टेंट, रुधिर विज्ञानी, अपोलो अस्पताल, 21, ग्रीम्स लेन, ऑफ ग्रीन्स रोड, चैन्नई - 600006	सदस्य	
13.	निदेशक (जीव जन्तु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य राचि	រិថ

केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जीव जन्तु कल्याण के इन्चार्ज अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं 2 सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा(2) के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित् करती है ।

3. संयुक्त सचिव (जीव जन्तु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सदस्य इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे ।

4. समिति का कार्यकाल, इससे पहले भंग न होने पर, इसके गठन की तारीख से 4 वर्ष का होगा। 5. दिनांक 10 जनवरी, 2003 की गजट अधिसूचना एस ओ 32(ई) और उसके बाद दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना संख्या एस ओ 599(ई); दिनांक 21.8.2003 की अधिसूचना सं. एस ओ 955(ई); 15.1.2004 की अधिसूचना सं. एस ओ 69(ई); 25.1.2005 की अधिसूचना सं. एस ओ 85(ई); 17.10.2005 की अधिसूचना सं. एस ओ 1491(ई); और 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या एस ओ 933(ई); के तहत संशोधित अधिसूचनाओं के द्वारा पहले गठित की गई समिति यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भंग हो गई है।

> [फा. सं. 25/34/2004-ए डब्ल्यू डी] देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10-1-2003 की पहली अधिसूचना संख्या का.आ. 32(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 26-5-2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ), दिनांक 21-8-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955(अ), 15-1-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69(अ), 25-1-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 85(अ), 17-10-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ), और 21-6-2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933(अ) के तहत संशोधित अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2006

S.O. 1817(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, and being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

		, ,	
4	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAOR	DINARY	[PART II—SE
1.	Additional Secretary,	Chairpers	on / Member
	Incharge of Animal Welfare, Government of India,		-
	Ministry of Environment and Forests,		
	New Delhi.		
2.	Joint Secretary (Animal Weifare),	Vice-Chai	rperson/ Membe
	Ministry of Environment and Forests, New Delhi.		
3.	Dr.(Mrs.) Vasantha Muthuswamy,	Member	
	Senior Deputy Director General &		
	Chief, Division of BMS, Traditional Medicines &		· _
	Bioethics, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar,		
	New Delhi-110 029.		
4.	Dr. P. Balakrishna Murthy,	Member	<u></u>
	Director,		· ·
	International Institute of Biotechnology and Toxicology (IIBAT),		
	12, Harleys Road, Kilpauk,		
	Chennai-600 010.		
5.	Dr. D. Swarup,	Member	
	Head, Division of Medicine, Indian Veterinary Research Institute,		
	Izatnagar-243 122, (Uttar Pradesh)		
6.	Dr. K. Nachimuthu,	Member	
	Director of Research, Tamilaadu, Vatarinaar, and Animal Sciences		
	Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University,		
	Madhavaram Milk Colony,		
	Chennai- 600 051.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.	Prof. Anup Kumar Nayak, Wildlife Institute of India,	Member	
	Post Bag #18, Chandrabani,		
	Dehradun - 248 001, Uttaranchal.		•
8.	Dr. Kodavalla Venkaiah,	Member	
	Head & Asst. Director, Bio-Statistics Deptt.,		
	National Institute of Nutrition,		• •
	Jamai-Osmania (PO), Hyederabad - 500 007.		
9.	Dr. V.K. Vinayak	Member	
	(Retd. Senior Advisor),		L. L.
	Department of Biotechnology,	· ·	
	B-1, E-12, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110 044.		
-	The rest of the re	E	

10.	Prof. A. Jagannadha Rao (Retd.), Department of Bio-Chemistry and Molecular Reproduction, Development & Genetics, Indian Institute of Science, Bangalore-560 012.	Member
11.	Dr. Shashi Motilai, Professor (Philosophy), University of Delhi, 7, Vaishali Apartments, ITT/Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110 016.	Member
12.	Dr. T.P.R. Bharadwaj, Senior Consultant, Haematologist, Apolio Hospitals, 21, Greams Lane, Off. Greams Road, Chennal-600 006.	Member
13.	Director (Animal Welfare), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.	Member-Secretary

2. The Central Government hereby nominates Additional Secretary, incharge of Animal Welfare, Ministry of Environment and Forests and Member to be the Chairperson of the Committee as per sub-section (2) of section 15 of the said Act.

3. Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests and Member will be Vice Chairperson of the Committee.

4. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be four years from the date of its constitution.

5. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No.S.O.32(E) dated 10th January, 2003 amended subsequently vide Notification Numbers S.O.599(E) dated 26.05.2003; S.O.955(E) dated 21.8.2003; S.O.69(E) dated 15.01.2004; S.O.85(E) dated 25.1.2005; S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O. 933(E) dated 21.6.2006 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/34/2004-AWD] DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

2396 GT/06-2

